न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 09/2019

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीपक्ष
धनादास पुत्र घमण्डीराम के कायम मुकाम
1/1. पुसादास पुत्र स्व0 धनादास
1/2. बुधाराम पुत्र स्व0 धनादास
1/3. ओमदास पुत्र स्व0 धनादास
1/4. बाबुदास पुत्र स्व0 धनादास
1/5. गवरी बेवा धनादास
जातियान साद, निवासीगण ग्राम दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 769 दिनांक 27.06.1967 के पालनार्थ की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने बाबत्।

– – –

उपस्थिति
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5)।

–: आदेश :– दिनांक 31.07.2020

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 769 दिनांक 27.06.1967 के पालनार्थ में की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ। राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) के तहत आवंटन/नियमन को निरस्त हेतु विवादित आराजी खेत खसरा नं0 546/681 रकबा 5 बीघा वाके मौजा ग्राम दांतीवाडा भूमि किस्म गै0 मु0 जोड़ का आवंटन (मिसलानुसार) अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर किया गया जो विधि विरूद्ध है। आवंटन द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 10.01.1973 आवंटित धनादास के नाम से

स्वीकार किया गया उक्त भूमि गै0 मु0 जोड़ की भूमि है, से व्यथित होकर राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश हुआ है।

प्रार्थना–पत्र मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अभिलेख में केवल नामान्तरकरण संख्या 110 ग्राम दांतीवाड़ा की मूल प्रति प्राप्त हुई। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते अप्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 व 151 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत कर बतलाया कि प्रार्थी ने धनदास के कायम मुकाम के रूप में उनके पुत्रों व पत्नी को ही पक्षकार बनाया है जबकि लूणी देवी व गीतादेवी उनकी दो जायन्दा पुत्रियां भी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी या तो मृतक की पुत्रियों को पक्षकार बनाये या विकल्प में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने धनादास के कायम मुकाम अप्रार्थीगण पुसादास, बुधादास, ओमदास, बाबूदास पिता धनादास व श्रीमती गवरी बेवा धनादास के साथ धनादास की पुत्रियों क्रमशः लूणीदेवी व गवरीदेवी है उन्हे भी प्रकरण में पक्षकार बनाने का निवेदन किया है। प्रकरण में दोनों पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्यों संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार धनादास की मृत्यु होने पर ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा न0 546/681 रकबा 5 बीघा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण पुसादास, बुधादास, ओमदास, बाबूदास पिता धनादास व श्रीमती गवरी बेवा धनादास के नाम ही दर्ज है। स्व0 धनादास की पुत्रियां उक्त भूमि में सह खातेदार नहीं होने के कारण ही इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही बनाया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अब कोई आवश्यक पक्षकार शेष नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने का खारिज किया जाता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों में बतलाया कि विवादित आराजी खेत खसरा नं0 546/681 रकबा 5 बीघा वाके मौजा ग्राम दांतीवाडा भूमि किस्म गै0

मु0 जोड़ का आवंटन अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर किया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन अपने आप में विधि विरूद्ध है क्योंकि माफिक आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 769 दिनांक 27.6.67 में ऐसा कोई आधार स्पष्ट नहीं है जिसे विधिवत माना जाये।

प्रार्थी ने निरन्तर अपने तथ्यों में बतलाया कि विवादग्रस्त आराजी की किस्म गै0 मु0 जोड को तथाकथित रूप से बारानी अव्वल दर्ज करते हुए आवंटित की गई जबकि किस्म प्रतिबंधित भूमियों वाली थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में दर्शाई गई है। प्रकरण में आवंटित आराजी कि किस्म मिसल बन्दोबस्त में गै0 मु0 जोड़ है इसी कारण ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने अपनी बहस में आगे कहा कि विवादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने के कारण आवंटित भूमि की किस्म गै0 मु0 जोड़ होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियमन/आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया है लेकिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर है तथा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी सलंग्न नहीं है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 30 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 32 के अनुसार यदि अपेक्षित प्रतिलिपियां ऐसे समय के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो दर्शाये गये पर्याप्त कारणों से न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त किया जाये, आपूर्ति नहीं की जाती है तो ज्ञापन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में भूमि खसरा नं0 546 को गै0 मु0 जोड़ गलत बतलाया है, जबकि खतौनी बन्दोबस्त में उक्त खसरा की भूमि की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है तथा उसका लगान दर्ज है। जो भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन नियमन के लिये प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व धारा

5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1967 के तहत नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 10.01.73 को स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी ने लगभग 44 वर्ष बाद दिनांक 13.10.2017 को आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो मियाद बाहर है लेकिन प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थी पक्ष के इस कथन से हम सहमत है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। द्वितीयतः प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 110 ग्राम दांतीवाडा की कॉलम संख्या 14 में अंकित आवंटित माफिक आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एलआर 769 दिनांक 27.6.67 के अनुसार नामान्तरकरण भरा गया। उक्त आदेश की मूल/प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपने प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नहीं की है जबकि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2007 में खसरा नं0 546 की किस्म बारानी अव्वल अंकित है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी अव्वल होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत करने व सारहीन होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आवंटन आदेश में अंकित भूमि अन्य किसी नियमों व न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन करती है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को भिजवाया जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.08.06 10:56:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: